विज्ञप्ति

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम(संशोधन)अधिनियम 2010 की धारा–25 की उपधारा–9 के क्लाज़ (c)एवं उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर (संशोधन)नियमावली 2010 के नियम 53 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए टैक्स आडिट के प्रयोजनार्थ व्यापारियों के चयन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया विहित की जाती है–

1– कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर टैक्स आडिट की परिधि में आने वाले व्यापारियों की सूची कर निर्धारण वर्ष के आधार पर बनाई जाएगी तथा इसी सूची में से प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए कुल व्यापारियों की संख्या का न्यूनतम 5% तथा अधिकतम 10% तक चयन करके सूची बनाई जाएगी।

2– टैक्स आडिट की परिधि में आने वाले व्यापारियों का चयन रेन्डम नम्बर टेबल की सहायता से किया जाएगा।

3– व्यापारियों के चयन में पारदर्शिता रखने के उददेश्य से एडिशनल कमिश्नर (आडिट) वाणिज्य कर,मुख्यालय संभागवार स्वयं जाकर संभाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य.)वाणिज्य कर एवं एक डिप्टी कमिश्नर(क.नि.)वाणिज्य कर की उपस्थिति में व्यापारियों के चयन की प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण कराएगे।

4– कर निर्धारण वर्ष के आधार पर खंडवार व्यापारियों की सूचियाँ संभाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य.), एडिशनल कमिश्नर(आडिट)वाणिज्य कर,मुख्यालय के समक्ष प्रस्तुत करेगे तथा व्यापारियों का चयन खंडवार रेन्डम नम्बर टेबल की सहायता से पूर्ण किया जाएगा।

5– उपरोक्तानुसार टैक्स आडिट की परिधि में आने वाले व्यापारियों को पृथक से कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से सूचना पत्रक भी भेजा जाएगा।

6– टैक्स आडिट के लिए टीमों का गठन मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार टैक्स आडिट की परिधि में आने वाले व्यापारियों की सूची को एन.आई.सी.की विभागीय वेबसाईट पर भी सर्वसाधारण की जानकारी हेतु डाला जाएगा।

7– टैक्स आडिट के लिए गठित टीमों की सूचना सम्बन्धित व्यापारियों को भी दी जायेगी।

(राधा रतूड़ी)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड देहरादून ।

पृ0प0सं0 829/आयु0 क0 उत्तरा0/टैक्स–आडिट/2010–11 दिनांक 18 जनवरी 2011

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर गढवाल जोन, देहरादून/कुमॉऊ जोन, रूद्रपुर।
2–समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर उत्तराखण्ड।
3–समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0) वाणिज्य कर उत्तराखण्ड ।
4–समस्त खण्डाधिकारी/कर–निर्धारण अधिकारी वाणिज्य कर उत्तराखण्ड।
5–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इस विज्ञप्ति को विभागीय वेवसाइट पर डालने का कष्ट करें ।
6–उप–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय लिथोप्रेस, रूड़की को आगामी सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ ।

18/01/2011

अपर आयुक्त (आडिट)
वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड
मुख्यालय देहरादून ।